<u>परिशिष्ट-1</u> [नियम 3(1) देखिए]

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20...... *को यथाविद्यमान आस्तियों और दायित्वों की विवरणी (लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44 के अधीन)

1.	लोक सेवक का पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)				
2.	(क) वर्तमान में धारित लोक स्थिति (पदनाम, नाम और संगठन का पता)				
	(ख) किस सेवा से संबंधित है (यदि लागू है)				
घोषणा					
मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44 के उपबंधों के अधीन मेरे द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूचना की बाबत संलग्न विवरणी अर्थात् प्ररूप 1 से प्ररूप 4 मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और ठीक है।					
तारीख		हस्ताक्षर			
*पहली नियुक्ति की दशा में कृपया नियुक्ति की तारीख उपदर्शित करें।					

टिप्पण 1. इस विवरणी में या तो उसका स्वयं का नाम या किसी अन्य व्यक्ति के नाम लोक सेवक की सभी आस्तियों और दायित्वों की विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी। विवरणी में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44(2) में यथाउपबंधित पति या पत्नी और आश्रित बालकों की आस्तियों/दायित्वों की बाबत ब्यौरा सम्मिलित होगा।

(धारा 44(2) लोक सेवक उस तारीख से जिसको वह अपना पदग्रहण करने के लिए शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है, तीस दिन की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी को-

(क) उन आस्तियों के संबंध में जिनका वह उसका पति या पत्नी और उसके आश्रित बालक संयुक्तत: या पृथक्त: स्वामी या फायदाग्राही हैं;

- (ख) अपना और अपने पति या पत्नी और अपने आश्रित बालकों के दायित्वों के संबंध में, सूचना देगा।
- टिप्पण 2. यदि कोई लोक सेवक या तो "कर्ता" या किसी सदस्य के रूप में कुटुंब की संपत्तियों में सह समांशी अधिकारों के साथ हिंदू अविभक्त कुटुंब का सदस्य है तो उसे ऐसी संपत्ति में अपने भाग का मूल्य प्ररूप सं.3 की विवरणी में उपदर्शित करना चाहिए और जहां ऐसे भाग का ठीक मूल्य उपदर्शित करना संभव नहीं है वहां इसका लगभग मूल्य उपदर्शित हो, स्पष्टीकारक टिप्पणियों को जोड़ा जा सकेगा, जहां कहीं आवश्यकता हो।
- टिप्पण 3. "आश्रित बालक" से ऐसे पुत्र और पुत्रियां अभिप्रेत हैं जिनके पास उपार्जन का कोई पृथक साधन नहीं है और वे अपनी आजीविका के लिए पूर्णत: लोक सेवक पर आश्रित हैं। (नीचे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44(3) का स्पष्टीकरण।

प्ररूप संख्या 1

लोकसेवक, उसके पति या पत्नी और आश्रित बालकों का ब्यौरा

क्रम संख्या		नाम	धारित लोक स्थिति यदि कोई हो	क्या विवरणी, उसके द्वारा पृथक रूप से फाइल की जाती है
1	स्वयं			
2	पति या पत्नी			
3	आश्रित – 1			
4	आश्रित – 2			
5*	आश्रित – 3			

*और पंक्ति जोडें यदि आवश्यक हैं		
तारीख	हस्ताक्षर	

प्ररूप संख्या 2

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20..... को यथाविद्यमान चल संपत्ति का विवरण

स्वयं, पति या पत्नी और आश्रित बालकों की चल संपत्ति का ब्यौरा

क्रम	वर्णन		रकम रुपये में					
संख्या			स्वयं	पति या	आश्रित	आश्रित	आश्रित	
				पत्नी	1	2	3	
(i)	हाथ में नकदी							
(ii)	बैंक खातों में जमा का ब्यौरा (एफडीआर, निक्षेपों की अवधि, बचत खातों सहित जमा के सभी अन्य प्रकार), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्त कंपनियों	संस्थाओं के नाम और जमा की						
	और सहकारी सोसाइटियों							
	में जमा और प्रत्येक ऐसी जमा में रकम							
						•		
(iii)	बंधपत्रों, डिबैंचरों, शेयरों में निवेश का ब्यौरा और कंपनियों/पारस्परिक							
	निधियों में यूनिटें और अन्य							
(iv)	राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र,	निवेश का						
	डाक बचत, बीमा पालिसियों में निवेश का	नाम						
	ब्यौरा और किसी डाकघर							
	या बीमा कंपनी में किसी							
	वित्त लिखतों में निवेश							

(v)	भविष्य निधि/नई पेंशन स्कीम में जमा का ब्यौरा	निवेश का नाम		•	
				-	
(vi)	वैयक्तिक उधार/किसी व्यक्ति को दिया गया अग्रिम				
	या अस्तित्व जिसमें फर्म, कंपनी न्यास आदि सम्मिलित हैं और ऋणियों				
	से अन्य प्राप्य तथा रकम				
	(जो अधिक है (क) दो मास का मूल वेतन, जहां				
	लागू हैं, (ख) अन्य मामलों में एक लाख रुपये				
(vii)	मोटरयानों/वायुयानों/क्रीड़ा नौकाओं/पोत (निर्माण, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि, क्रय का वर्ष और रकम का ब्यौरा)	प्रकृति, रजिस्ट्रीकरण			
(viii)	आभूषण, बुलियन और मूल्यवान वस्तु(एं)	सोना			
	(भार का ब्यौरा दें)	चाँदी	•		
		बहुमूल्य रत्न/बहुमूल्य धातु			
		स्वर्ण			

	:	चाँदी			
	बुलियन	बहुमूल्य रत्न/बहुमूल्य धातु			
(ix)	कोई अन्य अस्तियां				

तारीख	हस्ताक्षर
	C () ()

टिप्पण 1—संयुक्त स्वामित्व की सीमा उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों को भी दिया जाना होगा।

टिप्पण 2 – निक्षेपों/विनिधानों की दशा में, रकम, निक्षेप की तारीख स्कीम, बैंक का नाम/संस्था और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाएं।

टिप्पण 3 – सूचीबद्ध कंपनियों और गैर सूचीबद्ध फर्मों के मामलों में बहियों की मूल की बाबत स्टाक एक्सचेंज में चालू बाजार मूल्य के अनुसार बंधपत्रों/शेयरों डिबैंचरों का मूल्य।

टिप्पण 4 – प्रत्येक निवेश की बाबत रकम में सिम्मिलत ब्यौरे पृथक रूप से दिए जाएं।

टिप्पण 5 — ऊपर (i) से (viii) के अंतर्गत नहीं आने वाले (ix) के अधीन व्यष्टिक रूप से दो मास से अधिक के कुल वेतन (जहां लागू हों) या 1.00 लाख रूपये से अधिक मूल्य की चल आस्तियों के ब्यौरे को उपदर्शित किया जाए।

प्ररूप सं.3

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20..... को यथाविद्यमान अचल संपत्ति का विवरण

(लोक सेवक, उसके पति या पत्नी और आश्रित बालकों द्वारा धारित)

क्रम	संपत्ति का वर्णन	सुनिश्चित	भूमि का	भूमि	ब्याज की	यदि लोक	अर्जन	कैस अर्जित की गर्ड	संपत्ति का	संपत्ति	टिपाणियां
न्म रख्या	संपत्ति का वर्ण- (भूमि/गृह/फ्रैट/दुकान/औद्योगिक आदि)	सुनिश्चित अवस्थिति का सार (जिला, प्रभाग, ताल्लुक और उस ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति अवस्थिति है और इसकी सुभिन्न संख्या आदि)		संपत्ति के मामलों	ब्याज की सीमा	यदि लोक सेवक के नाम नहीं है तो किसके नाम धारित है, उल्लेख करें और उससे लोक सेवक की नातेदारी यदि कोई	की	कैस अर्जित की गई (क्या क्रय, बंधक, पट्टा विरासत, दान या अन्यथा द्वारा है) और उस व्यक्ति/व्यक्तियों के ब्यौरे सहित नाम जिनसे अर्जित की गई है (पता और संबद्ध व्यक्ति/व्यक्तियों का सरकारी सेवक से संबंध यदि कोई है) कृपया नीचे टिप्पण	वर्तमान मूल्य (यदि ठीक मूल्य ज्ञात न हो तो लगभग मूल्य उपदर्शित	संपत्ति सं कुल वार्षिक आय	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	1 देखें और अर्जन की लागत 9	10	11	12

तारीख	हस्ताक्षर

टिप्पण —1. स्तंभ 9 के प्रयोजन के लिए, पट्टा ''पद'' से वर्ष दर वर्ष से किसी एक वर्ष से अधिक अविध के लिए या वार्षिक किराए के लिए आरक्षित अविध के लिए अचल संपत्ति का पट्टा अभिप्रेत होगा तथापि जहां अचल संपत्ति का पट्टा किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त होता है जिसका सरकारी सेवक के साथ शासकीय संबंध है, ऐसे पट्टे की अविध को चाहे यह अल्पकालिक हो या दीर्घकालिक हो और किराए की संदाय की कालिकता पर ध्यान दिए बिना दर्शाया जाना चाहिए।

प्ररूप सं.4

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20..... को यथाविद्यमान ऋणों और अन्य दायित्वों का विवरण

क्रम संख्यांक	ऋणी	रकम	लेनदार का	उपगत	संव्यवहार	टिपपणियां
	(स्वयं/पति		नाम और	दायित्व की		
	या पत्नी या		पता	तारीख		
	आश्रित					
	बालक)					
1	2	3	4	5	6	7

तारीख	हस्ताक्षर

टिप्पणी 1 – उधारों की व्यष्टिक मदें जो दो मास के मूल वेतन से अधिक नहीं हैं (जहां लागू हों) और अन्य मामलों में 1.00 लाख रुपये हैं, सम्मिलित किया जाना आवश्यक नहीं है।

टिप्पण 2 – विवरण में वाहन का क्रय, गृह निर्माण अग्रिम आदि (वेतन और यात्रा भत्ते के अग्रिमों से भिन्न), भविष्य निधि से अग्रिम और उससे उधार, के लिए अग्रिम जैसे नियोजक से उपलब्ध विभिन्न उधारों और अग्रिम (टिप्पण 1 में दिए गए मूल्य से अधिक) जीवन बीमा पालिसियों तथा साविध जमाओं पर उधार को भी सिम्मिलित किया जाना चाहिए।

Return of Assets and Liabilities on Fig. (Under Sec 44 of the	rst Appointment or as on the 31 st March, 20* Lokpal and Lokayuktas Act, 2013)
1. Name of the Public servant in full (in block letters)	
 (a) Present public position held (Designation, name and address of organization) 	
(b) Service to which belongs (if applicable)	
Declaration	
I hereby declare that the return enclosed nam of my knowledge and belief, in respect of inf section 44 of the Lokpal and Lokayuktas Act,	rely, Forms I to IV are complete, true and correct to the best formation due to be furnished by me under the provisions of 2013.
Date	Signature
* In case of first appointment please indicate	date of appointment.

Note 1. This return shall contain particulars of all assets and liabilities of the public servant either in his/her own name or in the name of any other person. The return should include details in respect of assets/ liabilities of spouse and dependent children as provided in Section 44 (2) of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013.

(Section 44 (2): A public servant shall, within a period of thirty days from the date on which he makes and subscribes on oath or affirmation to enter upon his office, furnish to the competent authority the information relating to –

- (a) the assets of which he, his spouse and his dependent children are, jointly or severally, owners or beneficiaries;
- (b) his liabilities and that of his spouse and his dependent children.)

Note 2: If a public servant is a member of Hindu Undivided Family with co-parcenary rights in the properties of the family either as a 'Karta' or as a member, he should indicate in the return in Form No. III the value of his share in such property and where it is not possible to indicate the exact value of such share, its approximate value. Suitable explanatory notes may be added wherever necessary.

Note 3: "dependent children" means sons and daughters who have no separate means of earning and are wholly dependent on the public servant for their livelihood. (Explanation below Section 44(3) of Lokpal and Lokayuktas Act, 2013).

FORM No. 1

Details of Public Servant, his/her spouse and dependent children

S.No.		Name	Public Position held, if any	Whether return being filed by him/her, separately
1.	Self			
2.	Spouse			
3.	Dependent-1			
4.	Dependent-2			
5.*	Dependent-3			

*Add more rows, if necessary.	
Date	Signature

FORM NO. II

Statement of movable property on first appointment or as on the 31st March, 20.....

Details of the movable assets of self, spouse and dependent children.

S.No.	Description	Amount in Rupees						
		Self	Spouse	Dependent 1	Dependent 2	Dependent 3		
(i)	Cash in hand							
(ii)	Details of deposit in Bank accounts (FDRs, Term Deposits and all other types of deposits including saving accounts), Deposits with financial Institutions, Non-Banking financial	Name of Bank/Financial Institutions, & Nature of Deposit						
	Companies and Cooperative societies and							
	the amount in each such deposit							
(iii)	Details of investment in Bonds, debentures/ shares and units in companies/	Name of Company				,		
	mutual funds and others							
				•				
(iv)	Details of investment in NSS, Postal Saving,	Nature of investment	>					
	Insurance Policies and investment in any							
	Financial instruments in Post office or Insurance							
	Company							
		L.						
(v)	Details of deposit in Provident Fund/ New							
	Pension Scheme							

(vi)	Personal loans/advance given to any person or entity including firm, company, Trust etc. and other receivables from debtors and the amount exceeding (a) two months basic pay, where applicable) (b) Rupees one lakh in other cases	Name of Debtor		
(vii)	Motor Vehicles/Aircrafts / Yachts / Ships (Details of Make, registration number etc., year of purchase and amount)	Nature of vehicle, registration no. & year of purchase		
(viii)	Jewellery, bullion and valuable thing(s) (give details of weight) JEWELLERY *** Bullion	Gold Silver Precious stones/ precious metals Gold Silver Precious stones/ precious stones/ precious metals		
(ix)	Any other assets			

Data	Signature
Date	Signature

Note 1: Assets in joint name indicating the extent of joint ownership will also have to be given.

Note 2: in case of deposits / Investments, the details including Amount, date of deposit, the scheme, Name of the Bank/ Institution and Branch are to be given

Note 3: Value of Bonds/ Share Debentures as per current market value in Stock exchange in respect of listed companies and books values in case of unlisted firms.

Note 4: Details including amount is to be given separately in respect of each investment.

Note 5: Under (ix) details of movable assets not covered in (i) to (viii) above valuing individually over two months basic pay (where applicable), or Rs. 1.00 lakh may be indicated.

FORM NO. III

Statement of immovable property on first appointment or as on the 31st March, 20...... (e.g. Lands, House, Shops, other Buildings, etc.)

[Held by Public Servant, his/ her spouse and dependent children]

S.No.	Descripti on of property (Land/ House/ Flat/ Shop/ Industrial etc.)	Precise location (name of District, Division, Taluk and Village in which the property is situated and also its distinctive number,	Area of land (in case of land and buildings)	Nature of land in case of landed property	of	If not in name of public servant, state in whose name held and his/her relationship, if any to the public servant	Date of acquisition	How acquired (Whether by purchase, mortgage, lease, inheritance, gift or otherwise) and name with details of person/ persons from whom acquired (address and connection of the Government servant, if any, with the person/ persons concerned) (please see Note 1 below) and cost of acquisition.	value of the property (if exact value not known, approx value may be	Total annual income from the property	Remarks
1	2	etc.) 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Date	Signature
Date	

Note (1) For purpose of Column 9, the term "lease" would mean a lease of immovable property from year to year or for any term exceeding one year or reserving a yearly rent. Where, however, the lease of immovable property is obtained from a person having official dealings with the Government servant, such a lease should be shown in this Column irrespective of the term of the lease, whether it is short term or long term, and the periodicity of the payment of rent.

FORM NO. IV Statement of Debts and Other Liabilities on first appointment or as on 31st March, 20

S. No.	Debtor (Self/Spouse	Amount	Name and	Date of	Details of	Remarks
	or dependent		address of	incurring	Transaction	
	children)		Creditor	Liability		
1	2	3	4	5	6	7

Date	Signature

- **Note 1:** Individual items of loans not exceeding two months basic pay (where applicable) and Rs. 1.00 lakh in other cases need not be included.
- **Note 2:** The statement should also include various loans and advances (exceeding the value in Note 1) available from the employer like advance for purchase of conveyance, house building advance etc. (other than advances of pay and travelling allowance), advance from the GP Fund and loans on Life Insurance Policies and fixed deposits.